

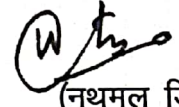
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैण्ड	ग्रेड पे/मैट्रिक्स लेवल
1	सरोज पारीक, प्रधानाचार्य, सिंगारा, अजमेर	14-09-59	18-10-95 Lect.	17-10-15 20 Y	18-10-15 II	15600-39100	6800
2	दीपाराम वर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श रामपुरा-खण्डेला, सीकर	08-05-62	31-12-87 Sr.T	30-12-07 20 Y 30-12-17 30 Y	31-12-07 II 31-12-17 III	9300-34800 -	4800 L-17
3	गोकूल चन्द सिंहल, प्रधानाचार्य, करकेडी अजमेर	01-01-64	16-09-95 Lect.	15-09-15 20 Y	16-09-16 II दंडादेश के कारण	15600-39100	6800

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।



(नथमल डिडेल)

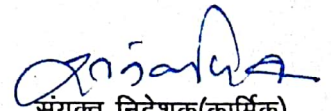
आईएस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 28.08.2019

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/वो-2/2017-19

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर